न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

CNR No: UPLK160000592019

अ0 सं0 651/2018
मु0 अ0 सं0 46/2019
उ0 प्र0 राज्य बनाम पंकज कुमार व अन्य
धारा 143 रेलवे अधिनियम
थाना – रे0 सु0 बल, पोस्ट लखनऊ सिटी

दिनांक 08.03.2022

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 245(2) द0 प्र0 सं0

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी समक्ष न्यायालय उपस्थित। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थी अभियुक्त पंकज कुमार की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.12.2021 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल थाना आर0पी0एफ0, पोस्ट लखनऊ सिटी द्वारा धारा 143 रेल अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थी/ अभियुक्त पंकज कुमार, जमाल उर्फ मो0 जमा व फैजान रफी खान के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी रेलवे का कर्मचारी है जिसे धारा 143 रेल अधिनियम के अंतर्गत दण्डित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा कोई भी माँगपत्र कूटरचित रूप से तैयार नहीं किया गया है न ही उसने कोई भी अपराध कारित किया है वह पूर्णतः निर्दोष है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप फर्जी एवं मनगढ़न्त है जिनका कोई आधार नही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त द्वारा उसे उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

परिवादी रेलवे की तरफ से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त पंकज कुमार, जमाल उर्फ मो0 जमा व फैजान रफी खान के विरूद्ध थाना- रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट लखनऊ सिटी द्वारा परिवाद-पत्र अंतर्गत धारा 143 रेल अधिनियम प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर समुचित साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को विचारण हेतु समन जारी किया गया है। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र को खारिज करने की याचना की गयी है।

पूर्व में प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी (परिवादी) को सविस्तार सुना जा चुका है पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

प्रार्थी अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या 4741/2021 अन्तर्गत धारा 482/378/407 दं0 प्र0 सं0 में पारित आदेश दिनांकित 24.11.2021 की सत्यप्रति प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश का सादर अवलोकन किया गया जिसमें माननीय न्यायालय ने यह निर्देशित किया है कि प्रार्थी अभियुक्त अपने अधिवक्ता के माध्यम से सम्बन्धित न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे, जिसका निस्तारण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा

शीघ्रातिशीघ्र (चार सप्ताह) विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के आलोक में किया जाए एवं उन्मोचन प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक प्रार्थी अभियुक्त को दाण्डिक कार्यवाही का सामना करने के लिए बाध्य न किया जाए। माननीय न्यायालय के उक्त निर्देश के अनुपालन में प्रार्थी अभियुक्त द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्ष के अभिकथन एवं प्रति-अभिकथन के विश्लेषण के पूर्व कतिपय विधि-व्यवस्थाओं का उल्लेख समीचीन होगा, जिसमें माननीय न्यायालय ने उन्मोचन के प्रश्न पर विस्तृत अभिनिर्धारण व्यक्त किया गया है।

State of Tamil Nadu Vs. N. Suresh Rajan and others, 2014 (84) ACC 656 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उन्मोचन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रक्रम पर न्यायालय को इस अवधारणा के साथ अग्रसर होना चाहिए कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामाग्री सत्य है और उन सामग्रियों और दस्तावेजों का इस दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उनसे उद्भूत होने वाले तथ्यों से प्रश्नगत/अभ्यारोपित अपराध के समस्त तथ्य उद्घाटित होते हैं? परन्तु इसके लिए उन सामग्रियों/दस्तावेजों का गहनता से परीक्षण आवश्यक नहीं है, वरन उनसे प्रथम दृष्टया अपराध का प्रकटीकरण ही पर्याप्त है। **विधि इस प्रकम पर लघु विचारण की अनुमति प्रदान नहीं करती है।** माननीय न्यायालय की प्रतिपादना के सुसंगत अंश का शब्दशः उल्लेख समीचीन होगा जो निम्नवत है –

> It is trite that at the stage of consideration of an application for discharge, the court has to proceed with an assumption that the materials brought on record by the prosecution are true and evaluate the said materials and documents with a view to find out whether the facts emerging therefrom taken at their face value disclose the existence of all the ingredients constituting the alleged offence. At this stage, probative value of the materials has to be gone into and the court is not expected to go deep into the matter and hold that the materials would not warrant a conviction. In our opinion, what needs to be considered is whether there is a ground for presuming that the offence has been committed and not whether a ground for convicting the accused has been made out. To put it differently, if the court thinks that the accused might have committed the offence on the basis of the materials on record on its probative value, it can frame the charge; though for conviction, the court has to come to the conclusion that the accused has committed the offence. The law does not permit a mini trial at this stage.

उक्त अभिनिर्धारण का पुनः अनुमोदन माननीय उच्चतम न्यायालय ने नवीनतम मामले **The State Of Rajasthan vs Ashok Kumar Kashyap** Criminal Appeal No. 407/2021, S.L.P. (Criminal) 3194/2021 **Order Dated 13 April 2021** में करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि आरोप के विरचना अथवा उन्मोचन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के स्तर पर महज यह देखा जाना चाहिए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं और क्या प्रार्थी अभियुक्त की आवश्यकता अग्रिम विचारण के लिये है अथवा नहीं। **विधि इस स्तर पर मामले के लघु विचारण की अनुमति नहीं प्रदान करती है।** माननीय न्यायालय की प्रतिपादना के सुसंगत अंश का शब्दशः उल्लेख समीचीन होगा जो निम्नवत है –

> --------- required to consider whether a prima facie case has been made out or not and whether the accused is required to be further tried or not. At the stage of framing of the charge and/or considering the discharge application, the mini trial is not permissible.

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने **P. Vijayan Vs. State of Kerala and another, 2010 (1) ACR (SC),** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि उन्मोचन/आरोप विरचना के प्रक्रम पर केवल यह विचारणीय होता है कि प्रस्तुत सामग्री विचारण के लिए पर्याप्त हैं अथवा नहीं। माननीय न्यायालय की प्रतिपादना के सुसंगत अंश का शब्दशः उल्लेख समीचीन होगा जो निम्नवत है –

> After evaluating the materials produced by the prosecution and after considering the probability of the case, the Judge being satisfied by the existence of sufficient grounds against the appellant and another accused framed a charge. Whether the materials at the hands of the prosecution are sufficient or not are matters for trial. At this stage, it cannot be claimed that there is no sufficient ground for proceeding against the appellant and discharge is the only remedy. Further, whether the trial will end in conviction or acquittal is also immaterial.

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने भी **Vinay Kumar And 5 Others vs. State Of U.P. And Anr., CRIMINAL REVISION No. - 2084 of 2014, Order Date 8.8.2014** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त प्रतिपादना पर विश्वास प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय की प्रतिपादना के सुसंगत अंश का शब्दशः उल्लेख समीचीन होगा जो निम्नवत है –

> It is well settled law that the Court has to proceed with assumption that the materials brought on record by the prosecution are true. It is true that at the time of

> consideration of application for discharge, the court cannot act as a mouthpiece of the prosecution or act as a post office and may weigh evidence in order to find out whether or not the allegations made are groundless so as to pass an order of discharge. At this stage, consideration of application for discharge, the court has to proceed with an assumption that the materials brought on record by the prosecution are true, and, evaluate the said materials and documents with a view to find out whether the facts emerging therein taken on their face value disclose the existence of all the ingredients constituting the alleged offence. At the stage the probative value of the materials has to be gone into and the Court is not expected to go deep in the matter and hold that the materials would or not warrant the conviction. What needs to be considered is whether there is ground for presumption that the offence has been committed and not whether a ground for convicting the accused has been made out.

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया है कि दिनांक 24.04.2018 समय लगभग 12:10 बजे PRS की जाँच की गई तो काउन्टर पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा अपना नाम पंकज कुमार CRS/MMB बताया गया। उसके पास से जाँच में एक शयनयान श्रेणी का तत्काल टिकट लोकमान्य तिलक टर्मिनस (महाराष्ट्र) से मुगल सराय (उत्तर प्रदेश) तक का मिला जिसके माँग पत्र की जाँच करने पर वह प्रार्थी अभियुक्त पंकज कुमार के हस्तलेख में होना पाया गया जिसे उसके द्वारा अपने भाई का होना बताया गया परन्तु जाँच में उसके भाई का होना नहीं पाया गया अपितु चार भिन्न लोगो का होना पाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं सामग्री के मूल्यांकन के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 26.10.2019 को विचारणार्थ आहूत किया गया। तब से लेकर आज तक वे समस्त साक्ष्य एवं सामग्री पत्रावली पर यथारूप विद्यमान है और तत्पश्चात कोई नवीन सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने यह याचना की है कि प्रार्थी रेलवे का कर्मचारी है जिसे धारा 143 रेल अधिनियम के अंतर्गत दण्डित नहीं किया जा सकता है। उसने कोई भी माँगपत्र कूटरचित रूप से तैयार नहीं किया गया है। यहाँ **धारा 143 रेल अधिनियम, 1989** का उल्लेख समीचीन होगा जो निम्न प्रावधान करती है –

> (1) यदि कोई व्यक्ति, जो **इस निमित्त प्राधिकृत** कोई रेल सेवक या अभिकर्त्ता नहीं है:

यहाँ यह तथ्य कि प्रार्थी अभियुक्त जो कि एक रेल सेवक है, उस पर मुख्य अभियोग ही यही है कि उसके पास से चार व्यक्तियों हेतु शयनयान श्रेणी का एक तत्काल कोटि का आरक्षित

टिकट प्राप्त हुआ जिसकी मांग पर्ची उसने स्वयं अपने हस्तलेख में भरी थी जबकी उस टिकट को उसने उस वक्त अपने भाई का होना बताया जो जाँच उपरान्त चार पृथक व्यक्तियों का होना पाया गया। प्रार्थी अभियुक्त उस माँग पर्ची को स्वयं भरने के निमित्त प्राधिकृत था अथवा नहीं एवं क्या वह माँग पर्ची उसने किसी के कहने पर भरी अथवा किसी अन्य आशय से यह साक्ष्य का विषय है जो विचारण में समुचित प्रक्रम पर ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अभिकथन विशुद्धतः प्रतिरक्षा कोटि के हैं, जिसका मूल्यांकन इस स्तर पर नहीं अपितु विचारण के दौरान समुचित प्रक्रम पर ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यातव्य होगा कि प्रार्थी अभियुक्त, द्वारा प्रस्तुत यह अभिकथन कि प्रथम दृष्टया उसके विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है वह पूर्णतः निर्दोष है, अपनी इस याचना के माध्यम से न्यायालय के तलबी आदेश दिनांकित 26.10.2019 को पुनर्विलोकन कराने की मंशा रखता है जो विध्यनुसार सम्भव नहीं है। इस न्यायालय के मत में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री विचारण की ओर अग्रसर होने के लिए पर्याप्त हैं। अतः यह न्यायालय, माननीय न्यायालय के उक्त वर्णित अभिनिर्धारणों के सादर अनुसरण में इस मत का है कि प्रार्थी अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने का कोई आधार नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र ख़ारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता ख़ारिज किया जाता है। परिवादी (रेलवे) की आपत्ति (यदि कोई हो) तदनुसार निस्तारित की जाती है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत हेतु याचना करे, अन्यथा की स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध उपस्थित होने के लिए विवश करने वाली आदेशिका(एं) नियमानुसार निर्गत की जाएँगी। पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त दिनांक 28.03.2022 को प्रस्तुत हो।

प्रशान्त मिश्रा

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ